

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सबल परखवाड़ा-2025 शिविर- 25वां नं०

प्रकरण संख्या:- 54/2025

दिनांक:- 25/06/2025

उपनाम

श्री 54/21म पुत्र कल्याण
 पुर्जर नि० दाजी मानपुर,
 बलारिया

नाम

सरकार जरिय तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



आदेश :-

प्राची के खाता पुरखरी प्राचीना पत्र और उसके साथ संलग्न बरसाबिज, पटबारी हल्का 26वना मू अ. नि. पांवडेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम 21कोशगंज 40 ह० 26वना की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 91 में वर्तमान दर्जा प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिव्य जात है।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	बीके के नाम में अशुद्ध	स्टेड बीके का 15 बीकानेर 208 जयपुर शारवा चौथ का बरवाड़ा	स्टेड बीके का 15 शरिया शारवा चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिनिधी -

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्राची श्री 54/21म पुत्र कल्याण पुर्जर नि० दाजी मानपुर
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)